

पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY
प्लान्ट डिपो / PLANT DEPOT
पं० दीन दयाल उपाध्याय / Pt.Deen Dayal Upadhyaya

कार्यालय आदेश सं०-23/ई

दिनांक-28.01.2021

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०-161/2006, 104/09, एवं 15/2011 के आलोक में निम्नलिखित कर्मचारी का 10 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान उनके आवेदन पत्र के अनुसार किया जाता है। जिसे सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पास/पी.टी. ओ. विवरण	पूर्व में ली गयी अवकाश	वर्तमान में ली गयी अवकाश	स्वीकृत के पूर्व अर्जित अवकाश	नगदीकरण
1.	श्री कौशलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	वसेई/रेलपथ / एफ०बी० / पीडी / डीडीयू	पास सं० A 730533 एवं A 730534 दिनांक 07.12.20	दिनांक 04.03.2016 से 05.03.2016 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश	दिनांक-26.12.20 से 02.01.2021 तक 08 दिन का अर्जित अवकाश	288 दिन	10 दिन (पंचम नगदीकरण)

Signed by Deepak Raj Ray

Date: 28-01-2021 11:13:55

Reason: Approved
(दीपक राज राय)वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
प्लान्ट डिपो / डीडीयू

दिनांक-28.01.2021

डा०सं०- ECR-PD0PERS(ESTT)/9/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरीय सहायक वित्त सलाहकार / पी०डी० / डीडीयू।
- मु०का०अधी० / स्था० / वेतन / पी०डी० / डीडीयू।
- अवकाश व्यवहारिक लिपिक / एफ०बी० / पी०डी० / डीडीयू।